न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 339 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. नगजीराम पिता नाथू जाति भील आयु वयस्क निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।

— वादी

बनाम

1. रतनलाल पिता छोगा जाति भील आयु वयस्क निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
2. रामचन्द्र पिता छोगा जाति भील आयु वयस्क निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
3. शंकर बाई पुत्री छोगा जाति भील आयु वयस्क निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
4. नानी बेवा छोगा जाति भील आयु वयस्क निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)।
5. नोजी बेवा हजारी जाति भील आयु वयस्क निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज0)। (फौत)
6. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ़।

— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 07.01.2026

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन के हाल आराजी संख्या 973, 980, 981, 984, 987, 988, 989, 990, 4012/961 कुल किता 09 कुल रकबा 2.35 हैक्ट0 स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 542 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी संख्या 525 चाह नम्बर थे जिनके नवीन सेटलमेन्ट के अनुसार आराजी संख्या 989 रकबा 0.01 हैक्ट0 व 990 रकबा 0.38 हैक्ट0 के हाल नबर बने है। इस आराजी में से वादी को 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बहनामा से विक्रय किया गया है।

यह कि उक्त वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित साबिक आराजी नम्बर का 1/2 हक हिस्सा मुझ वादी ने प्रतिवादीगण के पिता छोगा पिता हजारी भील निवासी मजरा भगा का खेडा सिंहपुर से दिनांक 19.07.1979 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (बहनामा) से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादी अपने 1/2 हक हिस्से पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित अनुसार आराजी नम्बर 989 रकबा 0.01 हैक्ट0, व 990 रकबा 0.38 हैक्ट0 व हाल चाह नम्बर 982 में वादी का 1/2 हक व हिस्सा घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक डिक्री फरमायी जावें।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदकर कब्जे में प्राप्त की है तभी से वादी काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को उसके हक व हिस्से के 1/2 हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और अन्य व्यक्तियों को रहन, बह, अंतरित करने पर आमादा है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादी के 1/2 हक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बह अंतरित करने पर आमादा है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पावन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादी के 1/2 हक हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बह अंतरित कर दिया तो वादी को अकथनीय व अपूर्णनीय क्षति होगी व व्यर्थ का विवाद बढेगा। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादी के वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से की भूमि को किसी अन्य को किसी भांति रहन, बह अंतरित नही करे, न ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज का ही निष्पादन करावें।

यह कि दिनांक 31.03.2018 को प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर वादी से लडाई झगडा किया व वादी को कहा कि उसकी कोई आराजी नहीं है एवं आराजीयात को अन्य व्यक्ति को रहन बह अंतरित करने की धमकियां दी इस कारण इस वाद का वाद हैतुक पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि–

– यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में आराजी नम्बर 989 रकबा 0.01 हैक्ट0 व 990 रकबा 0.38 हैक्ट0 हाल नम्बर का वादी को 1/2 हक हिस्से की घोषणा की जाकर घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावें।

– यह कि पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वे वादी के 1/2 हक हिस्से की आराजी नम्बर 989 रकबा 0.01 हैक्ट0 व 990 रकबा 0.38 हैक्ट0 हाल नम्बर आराजीयात को किसी अन्य को किसी भांति रहन, बह अंतरित नही करे, न किसी प्रकार का कोई दस्तावेज का ही निष्पादन करायें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 4 के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 25.06.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में रामनारायण पिता किशनलाल असावा महाजन निवासी सिंहपुर तहसील कपासन तथा नगजीराम पिता नाथू जाति भील आयु वयस्क निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर तहसील कपासन का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर जमाबन्दी संवंत् 2039–42 खाता संख्या 462 पुराना 452 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, जमाबन्दी खाता संख्या नया 680, पुराना 199 प्रदर्श–3 है, और बहनामा रजिस्टर्ड प्रदर्श–4, फोटो प्रति रजिस्टर्ड बहनामा प्रदर्श–4A है। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। दस्तावेज प्रदर्श–4ए के अवलोकन से वादी द्वारा खातेदार मृत्तक छोगा पिता हजारी भील से साबिक आराजी संख्या 542 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से 1/2 हक हिस्सा क्रय किया। आराजी संख्या 542 प्रदर्श–2 मिलान शीट के अवलोकन से हाल आराजी नम्बर 989 रकबा 0.01 हैक्ट0 व 990 रकबा 0.38 हैक्ट0 बने है। उक्त आराजीयात प्रदर्श–3 के अवलोकन से वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है। व मृत्तक छोगा के वारिसान है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संलग्न दस्तावेजों से सिद्ध होता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर के आराजी संख्या 989 रकबा 0.01 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 990 रकबा 0.38 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.39 हैक्ट0 में रतनलाल, रामचन्द्र, शंकरी बाई पिता छोगा, नानी बेवा छोगा के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा नगजीराम पिता नाथू जाति भील निवासी मजरा भग्गा का खेडा सिंहपुर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल ...)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन
सहायक कलक्टर
(फर्स्ट–ट्रेक) कपासन